रामखिलाडी बनाम राज. सरकार

मु. नं. 126/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वास्ते रिपोर्ट एवं TDR बांदीकुई तहरीर जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 21/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई
21/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थी सं. 01 बावजूद असालतन तामील उप० नहीं। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अतः अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई कुपत्रांक 09 दिनांक 01/01/2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो। प्रार्थीगण वकील द्वारा मूल प्रा.पत्र पर बहस की गयी। वास्ते आदेश पत्रावली निर्णय दिनांक 27/01/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)**
27/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील ... कार्य ... /P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई। गत आदेश की पालना में दिनांक 30/01/26 को पेश हो। **रीडर**
30/01/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 30/1/26 **उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)**

न्यायालय उप
PH:-01420-228487
प्रकरण संख्या :-126 /
प्रकरण दायर दिनांक:-
प्रकरण निर्णय दिनांक:-

1. रामखिलाडी पुत्र ज
2. अभिषेक पुत्र जगन्न
3. चावली देवी पुत्री ज
4. बिला देवी पत्नी ज
5. बादम देवी पत्नी भ

1. राजस्थान सरकार

प्रार्थीगण
आशय का पेश कि
खतौनी संख्या नई
लगायत 524 कुल
पुरानी 19 के खसर
स्थित है। प्रार्थीगण
5 के सुसर का
लगायत 3 के आध
राशन कार्ड, में पि
प्रार्थीगण संख्या 1
सुसर का सही न
संख्या 1 लगायत
सही नाम जगन्ना
रिकॉर्ड जमाबंदी
जगन्या दर्ज कर
प्रार्थीया संख्या 4
है जो सही है। प्र
संख्या 5 के सुस
हाजा से इस अ
राजस्व रिकॉर्ड मे
पति व प्रार्थीया

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :—126 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः— 09.09.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—20.01.2026 (हस्तलिखित: 30)

उनवान

1. रामखिलाडी पुत्र जगन्नाथ
2. अभिषेक पुत्र जगन्नाथ
3. चावली देवी पुत्री जगन्नाथ
4. बिला देवी पत्नी जगन्नाथ
5. बादम देवी पत्नी भजनलाल

} जाति गुर्जर निवासी सुमेल खुर्द तह. जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 लै0 रे0 एक्ट

निर्णय दिनांक 20.01.2026 (हस्तलिखित: 30)

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम सुमेल खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 16 पुरानी 18 के खसरा नंबर 305, 306, 307, 310 लगायत 326, 510 लगायत 524 कुल किता 35 कुल रकबा 3.88 हैक्टेयर एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 19 के खसरा नंबर 490, 492, 504, 505, 507 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है जो सही है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के आधार कार्ड में , प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, में पिता का नाम तथा प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम जगन्नाथ दर्ज है प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है जो सही है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है जो सही है का नामान्तकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या नया 16 में जगन्नाथ पुत्र मांग्या, तथा खाता संख्या नया 17 में जगन्या दर्ज कर दिया जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है जो सही है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया जो सही है तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा से इस अमर की दुरूस्ती अपने हक में करवाने के अधिकारी है कि प्रार्थीगण के राज़स्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है लेकिन राजस्व

(हस्ताक्षर)

रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या नया 16 में जगन्नाथ पुत्र मांग्या, तथा खाता संख्या नया 17 में जगन्या दर्ज कर दिया जो कि गलत है दर्ज है उसको हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड वर्णित भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है जो सही है को दर्ज किया जावें इस अमर की दुरूस्थी की प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर के गलत हो रहे नाम की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर के गलत हो रहे नाम की जानकारी सर्वप्रथम अपनी भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 20.07.2025 को भूमि की जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने के लिये हल्का पटवारी के पास जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दी इससे पूर्व प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर गलत दर्ज हो रहे नाम की कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थीगण ने अपने नाम की दुरूस्थी करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ पर दिनांक 20.07.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व प्रार्थना पत्र को लेने से इंकार कर दिया व नाम दुरूस्थ नहीं किया इस कारण प्रार्थी के पास सिवाय प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया जिसका नामान्तकरण खोलते समय राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खाता संख्या नया 16 में जगन्नाथ पुत्र मांग्या तथा खाता संख्या नया 17 में जगन्या दर्ज कर दिया जो कि गलत है दर्ज है उसको हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता प्रार्थीया संख्या 4 के पति व प्रार्थीया संख्या 5 के सुसर का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है जो सही है को दर्ज किया जावे इस अमर की दुरूस्थी प्रार्थी न्यायालय हाजा से अपने हक में प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक प्रार्थी हो और अता फरमायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन से की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र कमांक/भू.अ./2026/9 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गयी। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सुमेल खुर्द की सैटलमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2044–2047 के खाता संख्या 10 में वादीगण के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र भोरया दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी संवत् 2074–2077 की खाता संख्या 16 में वादीगण के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र मांग्या व खाता संख्या 17 में जगन्या सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड पहचान पत्र में वादी के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र भोरया दर्ज है। सैटलमेन्ट खतौनी के मिलान क्षेत्रफल से मिलान करने पर सैटलमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2044–2047 के खाता संख्या 10 के खसरो नम्बरों के नये खसरा नम्बरों की वर्तमान जमाबंदी के नये खाता

16 व 17 बने जिसमें खाता संख्या 16 में वादीगण के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र मांग्या व खाता संख्या 17 में जगन्या सा.देह खातेदार सहवन से गलत दर्ज हो गया जिसे सैटलमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2044–2047 के खाता संख्या 10 के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तोवजात का अवलोकन किया। अतः प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन करने, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम सुमेल खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 16 में प्रार्थीगण संख्या 1,2,3 के पिता का नाम जगन्नाथ पुत्र मांग्या तथा खाता संख्या 17 में प्रार्थीगण 1,2,3 के पिता का नाम जगन्या सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सुमेल खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 16 पुरानी 18 के खसरा नंबर 305, 306, 307, 310 लगायत 326, 510 लगायत 524 कुल किता 35 कुल रकबा 3.88 हैक्टेयर में दर्ज नाम जगन्नाथ पुत्र मांग्या एवं भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 17 पुरानी 19 के खसरा नंबर 490, 492, 504, 505, 507 कुल किता 5 कुल रकबा 1.64 हैक्टेयर में दर्ज नाम जगन्या की तहसीलदार बांदीकुई स्वयं जॉच करें कि प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर का यदि सही नाम जगन्नाथ पुत्र भौरया हो तो रिकॉर्ड में शुद्ध कर विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

30/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner